एक नजर में

सिंगरौली से मुंबई के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू

सिंगरौली. जिले की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 13379 धनबाद-लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ किया गया. सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने स्वयं भी ट्रेन से यात्रा प्रारंभ की. सांसद ने कहा कि यह नई ट्रेन सेवा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिससे सिंगरौली का सीधा जुड़ाव देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हो गया है. उन्होंने बताया कि ट्रेन सप्ताह में दो दिन संचालित होगी.

भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह का भंडाफोड़, प्रकरण दर्ज

मुरैना. जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में एक झोंपड़ी में संचालित भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह का एक जागरूक ग्रामीण युवक की सूझबूझ से भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार ग्राम हड़बांसी में नहर किनारे स्थित एक झोंपड़ी में संदिग्ध गतिविधियां देख एक युवक को शक हुआ. उसने गुप्त रूप से अंदर का वीडियो बनाया, जिसमें एक व्यक्ति महिलाओं की जांच करते हुए दिखाई दिया.

सागरताल में कूदे तीन भाई-बहन, एक की मौत

ग्वालियर. बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल में मंगलवार दोपहर 3.30 बजे दो पुरुष और एक महिला ने छलांग लगा दी. ये तीनों आपस में भाई-बहन हैं. जब लोगों सागरताल में इन्हें छलांग लगाते हुये देखा तो पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. इनमें से इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पीएम के लिये भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. बहोड़ापुर थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी. कि ढोलीबुआ इलाके के निवासी दो भाई बबलू खान, इदरीश खान और उनकी बहन यास्मीन सागरताल में कूद गए हैं.

डेढ माह से लापता बेटी को नहीं तलाश पाई पुलिस

जबलपुर. डेढ़ माह से लापता बेटी की पुलिस तलाश नहीं कर पा रही है. बेटी की तलाश किये जाने की मांग करते हुए पीड़ित शिक्षक पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करते हुए लापता युवती को पेष करने के आदेश जारी किये है. याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. कौशल प्रसाद चौबे की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उसकी पिता कटनी के रंगनाथ नगर थाने के हॉस्टल में रही थी. वह एक हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करती थी.

मुस्लिम द्वारा दूसरा विवाह करना अपराध नहीं : हाईकोर्ट

जबलपुर. हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष मान्य शर्तों के साथ एक से अधिक पत्नी रख सकता है। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिकाकर्ता को आंशिक राहत प्रदान करते हुए उसके खिलाफ धारा 494 के तहत दर्ज की गयी एफआईआर को निरस्त कर दिया है. मोहम्मद आरिफ अहमद जहांगीर खान की तरफ से ट्रायल कोर्ट के द्वारा धारा धारा 498 ए, 494, 342, 323 तथा 506 के तहत आरोप तय किये जाने को चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया था. पहली पत्नी की शिकायत पर महिला थाना जबलपुर में उसके खिलाफ जून 2022 उक्त धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया.

मसूर 100 फीसदी खरीदेगी सरकार

▶ मंडी शुल्क भी माफ होगा, कैबिनेट ने लिया निर्णय

प्राइस सपोर्ट स्कीम के दायरे में दोनों फसलों को किया शामिल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 अप्रैल. राज्य सरकार मौजूद सीजन में चना और मसूर भी खरीदेगी. इन दोनों ही फसलों को प्राइस सपोर्ट स्कीम के दायरे में लाया गया है. सरकार चना के कुल उत्पादन का 25 और मसूर उत्पादन का पूरा 100 फीसदी ही खरीदेगी. इन दोनों ही फसलों के लिए मंडी शुल्क को भी पूरी तरह माफ किया जाएगा.

कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. निर्णय के तहत इन दोनों ही फसलों की खरीदी मंडी बोर्ड के माध्यम से की जाएगी. ये स्कीम वर्ष 2028-29 तक जारी रहेगी. अब यदि एमएसपी से कम दाम में फसल बेचने की नौबत आती है तो किसानों को उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. कुल तीन सीजन में उपार्जन के लिए लागत राशि 7,050 करोड़ की 15 प्रतिशत कार्यशील पूंजी ऋ ण प्राप्त किये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित 3 वर्ष के उपार्जन कार्य के लिए 3,174 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है.

वित्तीय प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित सभी स्तरों के कार्मिकों को केंद्रीकृत एवं मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान एफटीआरआई की स्थापना होगी. इसकी स्थापना आरसीवीपी. नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी, भोपाल के परिसर में की जाएगी. मौजूदा समय में चल रहे 7 लेखा प्रशिक्षण शालाओं को इसमें मर्ज किया जाएगा. संस्थान के लिए पद सृजन पर राज्य शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा.अगले तीन वर्षों में स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय लागत लगभग 26 करोड़ रूपये आयेगी.

सिंहस्थ को देखते हुए अब उज्जैन की सरकारी हवाई पट्टी का विस्तार किया जाएगा. इसके लिए यहां 437.5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी, अधिग्रहण पर 590 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. विस्तार के बाद यहां बोइंग 320 और एयरबस जैसे बड़े विमान भी उतर सकेंगे. विस्तार के लिए पहले ही राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एमओयू हो चुका है.

दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मप्र के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना में जनजातीय कार्य विभाग की भांति प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 10 हजार रूपये के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है.

पांच वर्ष में खर्च होंगे 16720 करोड़

कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर, स्कूल शिक्षा, वन विभाग की पहले से चल रही योजनाओं को वर्ष 2030-31 तक बरकरार रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इन पांच वर्ष में इन योजनाओं पर 16720 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च की जाएगी. वाणिज्यिक कर विभाग के तहत 8 योजनाओं की 2030-2031 तक निरन्तरता और लगभग 2,952 करोड़ रूपये का अनुमोदन दिया गया है. वहीं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वन क्षेत्रो में पुनरुत्पादन, पुनर्स्थापना एवं संरक्षण कार्यवृत्तों में उपचार कार्य के लिए 5,215 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है.

सायबर ठगों ने 5 को बनाया शिकार

24 घंटे में निवेश, नौकरी और लोन के नाम पर ठगी

45 लाख रुपए अलग-अलग 5 लोगों से ठगे

इंदौर, 7 अप्रैल. शहर में लगभग प्रतिदिन साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है. पिछले 24 घंटे में पांच लोगों से निवेश, नौकरी और लोन के बहाने करीब 45 लाख रुपए हड़पने के मामले सामने आए हैं. सभी मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. ठग अब लोन प्रोसेस, शेयर ट्रेडिंग, नौकरी और ऑनलाइन टास्क के नाम पर लोगों को फंसा रहे हैं.

अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सामने आए मामलों में करीब 45 लाख रुपए की ठगी की गई है. राऊ क्षेत्र में नई बस्ती निवासी फल विक्रेता राधेश्याम कुशवाह को ठग ने बैंक प्रतिनिधि बनकर निशाना बनाया. लोन प्रोसेस करने के बहाने मोबाइल लेकर आरोपी ने उनके पेटीएम वॉलेट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए.

वहीं, राजेंद्र नगर क्षेत्र की आरआर कैट कॉलोनी निवासी मंजू के साथ सबसे बड़ी ठगी हुई. उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा दिया और अलग-अलग किश्तों में 29.86 लाख रुपए जमा करवा लिए. सिलिकॉन सिटी निवासी अनिल कमलाकर को भी शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए ठगा.

आरोपी ने ऊंचे रिटर्न का लालच देकर उनसे 9.25 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए. इसी तरह सदर बाजार क्षेत्र के ओमप्रकाश तिवारी को जर्मनी में नौकरी का झांसा देकर 1.50 लाख रुपए ठग लिए.

किसी भी अज्ञात लिंक या कॉल पर भरोसा न करें : पुलिस

इसी प्रकार स्कीम नंबर 114 निवासी आमोद कुमार सिंह से ऑनलाइन टास्क और कमीशन के नाम पर 1.28 लाख रुपए ऐंठ लिए गए. सभी मामलों में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एडीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि लोगों को ऐसे प्रलोभनों से सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अज्ञात लिंक या कॉल पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

12 पार्षद भोपाल पहुंचे, नपा अध्यक्ष को हटाने की मांग

शिवपुरी, 7 अप्रैल. शिवपुरी नगर पालिका की अध्यक्ष गायत्री शर्मा के विरोध में 12 पार्षद भोपाल पहुंचे हैं. उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात कर अध्यक्ष को हटाने की मांग की. पार्षदों ने प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है.

उनका आरोप है कि अध्यक्ष पार्षदों और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, जिससे वार्डों में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं. पार्षदों का कहना है कि इन गतिविधियों से शिवपुरी में भाजपा की छवि धूमिल हो रही है. मुलाकात के दौरान सभी 12 पार्षदों ने अपने इस्तीफे भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिए. इस पर हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि चूंकि वे पहली बार उनके पास आए हैं, इसलिए संगठनात्मक स्तर पर पूरे मामले की जांच की जाएगी और 10 दिन के भीतर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. भोपाल पहुंचने वाले पार्षदों में ओम प्रकाश जैन (वार्ड 5), विजय बिंदास (वार्ड 20), राजा यादव (वार्ड 17), रीना कुलदीप शर्मा (वार्ड 18), रघुराज उर्फ राजू गुर्जर (वार्ड 21), रितु डिंपल जैन (वार्ड 9), प्रतिभा गोपी शर्मा (वार्ड 10), सरोज धाकड़ (वार्ड 12), नीलम बघेल (वार्ड 11), मीना पंकज शर्मा (वार्ड 31), गौरव बंसल (वार्ड 37) और तारा राठौर (वार्ड 28) शामिल हैं.

जहां मूर्ति वहां पर नमाज कैसे हो सकती है

प्रवीण तोगड़िया ने कहा- ये जिद नही चलेंगी

धार, 7 अप्रैल. भोजशाला में चल रहे विवाद के बीच सत्याग्रह के दौरान प्रवीण तोगड़िया पहुंचे और पूजा अधिकार को लेकर अपनी बात रखी. यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लंबे समय से धार्मिक उपयोग को लेकर विवाद बना हुआ है.

सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्र हुए और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ व पूजन किया. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय हिंदू

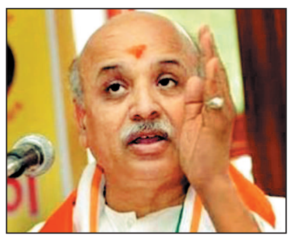

परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया ने परिसर का निरीक्षण किया और इसकी ऐतिहासिकता पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि यहां शिवलिंग, कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति, शंख और अन्य धार्मिक चिह्न मौजूद हैं, जो इसे मंदिर स्वरूप दर्शाते हैं. मीडिया से बातचीत में तोगड़िया ने नमाज को लेकर प्रश्न उठाते हुए कहा कि जहां स्पष्ट रूप से मंदिर के प्रमाण मौजूद हैं, वहां नमाज की अनुमति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि यहां वाग्देवी (माता सरस्वती) की मूल प्रतिमा स्थापित कर हिंदुओं को निर्बाध पूजा का अधिकार दिया जाए. उन्होंने न्यायालय के निर्देश पर किए जा रहे वैज्ञानिक सर्वे का भी उल्लेख किया.

अतिक्रमण कार्रवाई में गरीबों को बनाया निशाना : उमा

टीकमगढ़. पूर्व सीएम उमा भारती ने टीकमगढ़ में हुए इस पूरे घटनाक्रम में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर जिस तरह से विरोध जताया, उसने इस मुद्दे को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा में ला दिया है. उन्होंने नगर पालिका और प्रशासन पर आरोप लगाया कि कार्रवाई असंतुलित थी—जहां छोटे और गरीब रेहड़ी-पटरी वालों को हटाया गया, वहीं प्रभावशाली लोगों के कथित अतिक्रमणों को नहीं छुआ गया.

सिस्टर ट्यूटर पद पर होने वाली नियुक्तियों के परिणाम घोषित करने पर रोक

▶ हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को

जबलपुर.मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में सीधी भर्ती प्रक्रिया से सिस्टर ट्यूटर के पद पर होने वाली नियुक्तियों का परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है.

जबलपुर निवासी रानू हरिंखेडे सहित 30 नर्सिंग ऑफिसर की ओर से अधिवक्ता साहिल बिल्ला ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (गैर-राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2023 में संशोधन किया है. इसके तहत सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के नियमों को कुल पदों के 10 फीसदी तक सीमित कर दिया है, जबकि सीधी भर्ती को कुल पदों के 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. पूर्व के नियम को उलटकर यह संशोधन किया गया है.

पूर्व में सिस्टर ट्यूटर के 10 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से जबकि 90 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाते थे. न्यायालय को बताया गया कि याचिका लंबित रहने के दौरान मप्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने विज्ञापन जारी कर सिस्टर ट्यूटर के 218 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है. सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश दिये.

खेतों में पहुंचा कूनो का चीता

अफरा-तफरी मची

ग्वालियर, 7 अप्रैल. कूनो पालपुर चीता अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क से भागकर आये कैप वन नामक चीता ने पुन: ग्वालियर के जंगल में आमद दे दी है. वन विभाग की टीम लगातार चीता कैप वन की निगरानी कर रही है. चीते के खेतों में पहुंचने से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई है. वन विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है.

उल्लेखनीय है कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क में जन्में कैप वन नामक चीता कूनो के जंगल से ज्यादा अंचल के जंगल में चहलकदमी करता दिख रहा है. विशेषकर कैप वन चीता को ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी के जंगल ज्यादा रास आ रहा है. यही वजह है कि छह माह से ज्यादा समय उसने ग्वालियर और घाटीगांव के जंगल में रहकर बकरी आदि के शिकार किये थे. 2026 में दूसरी बार कैप वन नामक चीता ने शिवपुरी के जंगल से निकलकर ग्वालियर वन मंडल के जंगल में आमद दर्ज कराई है. स्थानीय ग्रामीणों को पता तब चला जब वह झांकरी गांव के राजस्व क्षेत्र में गेंहू की खड़ी फसल में शिकार की तलाश करने लगा. जैसे ही किसानों ने चीता को देखा तो अफरातफरी मच गई.

वन विभाग की अपील, बच्चे दूरी बनाए रखें

ग्वालियर रेंजर सुखदेव शर्मा ने बताया कि छोड़ा वन चैकी और कूनो की टीम कोलर आईडी तथा एंटीना के माध्यम से चीता के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है. वह स्वस्थ्य और सुरक्षित है. ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई समस्या नहीं है. सभी को चीता पर नजर रखने के लिये कहा है. बच्चे दूरी बनाये रखे. अपने मवेशियों पर भी नजर रखें. चीता के द्वारा शिकार किये जाने पर शासन द्वारा पशु हानि का मुआयजा दिये जाने का भी प्रावधान है. इसीलिये शिकार होने पर भी चीता के पास न जाये.

प्रेमी पर झूठा केस : अधेड़ से कराई शादी

युवती की कहानी सुन हाईकोर्ट भी पसीजा, कहा- 'अपने मन का करो'

ग्वालियर, 7 अप्रैल. 'सर, मैं एक लड़के से प्यार करती हूं, हम दोनों शादी करना चाहते थे. परिवार वालों से कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुए. काफी मिन्नतों के बाद उन्होंने शर्त रखी कि प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज करा दो, फिर उससे शादी करा देंगे.

लेकिन, पुलिस ने प्रेमी को जेल भेज दिया और परिवार वालों ने अधेड़ उम्र के आदमी से मेरी शादी करा दी. वह मुझे मारता है, प्रताड़ित करता है, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती'. विवाहित महिला की यह दर्दभरी दास्तां सुनने के बाद ग्वालियर हाईकोर्ट ने महिला को आजाद कर दिया. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रताड़ना की शिकार महिला अगर, पति के साथ नहीं रहना चाहती तो वह अपनी मर्जी से रहने के लिए स्वतंत्र है. पति जबरन उसे अपने साथ नहीं रख सकता. यह मामला ग्वालियर हाई कोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा है. एक पति ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी पत्नी को एक युवक ने जबरन बंधक बना लिया है. कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पेश किया. महिला वकील द्वारा की गई काउंसिलिंग में एक हैरान कर देने वाली कहानी समाने आई. सरकारी वकील के अनुसार, 19 साल की युवती मोनिका (बदला हुआ नाम) 21 साल के युवक रोहित (बदला हुआ नाम) से प्यार करती है. उसका प्रेमी पिछड़ी जाति से आता है. वे शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजन इसके खिलाफ थे. युवती के कई बार प्रेमी से शादी करने की जिद करने पर उसके परिजनों ने एक अजीब शर्त रखी, उन्होने कहा कि पहले युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराओ, फिर तुम्हारी शादी करा देंगे. परिजनों की बातों में आकर युवती ने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कर दिया. इधर, युवती को झटका तब लगा जब प्रेमी के जाते ही उसके परिवार वालों ने उसकी शादी 40 साल के अधेड़ से करा दी. युवती ने परिजनों के इस फैसले का काफी विरोध किया, लेकिन वह नहीं माने.

▶ प्रेमी के साथ रहने लगी युवती

पति का घर छोड़ने के बाद युवती अपने प्रेमी के साथ रहने लगी. इसकी जानकारी जब पति को लगी तो उसने ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की. पुलिस ने युवती को हिरासत लेकर पेश किया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ.

मुलताई नपा अध्यक्ष को कोर्ट से राहत

▶ पुन: चुनाव कराने का निचली अदालत का फैसला रद्द

जबलपुर 7 अप्रैल. मप्र हाईकोर्ट से बैतूल की मुलताई नगर पालिका की निर्वाचित अध्यक्ष नीतू परमार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत मुलताई के उस फैसले को अनुचित करार देते हुए निरस्त कर दिया जिसमें अध्यक्ष के चुनाव को रद्द कर पुन: चुनाव कराने कहा गया था। नीतू परमार की ओर से हाईकोर्ट में अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल एवं अधिवक्ता ऐश्वर्य नंदिनी तिवारी ने पक्ष रखा। 8 अगस्त 2022 को अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। इसमें नीतू को 15 में से 9 वोट मिले थे, जबकि वर्षा गडेकर को 6 वोट मिले थे। वर्षा ने नीतू के निर्वाचन के खिलाफ जिला अदालत में चुनाव याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने 6 वोट निरस्त कर नीतू के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दोबारा चुनाव कराने कहा था। नीतू ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने चुनाव में कोई अनियमितता नहीं पाते हुए जिला अदालत के आदेश को निरस्त कर नीतू परमार को तत्काल अध्यक्ष के पद पर बहाल करने के निर्देश दिए।

पार्टी के सिद्धांतों से कभी समझौता न करें

▶ भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ होते हैं

भोपाल, 07 अप्रैल. भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के अंतर्गत शिवपुरी जिले के दिनारा, करैरा एवं सिरसौद मंडल में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अनुशासन और समय की पाबंदी ही पार्टी को मजबूत बनाती है और यही गुण भाजपा को समाज में विश्वसनीयता व सम्मान दिलाते हैं.

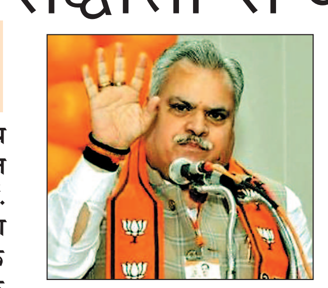

जामवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं. कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करें और उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़ें. कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

जामवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें और पार्टी के सिद्धांतों से कभी समझौता न करें. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सदैव विचारधारा के प्रति दृढ़ रहते हैं, यही कारण है कि पार्टी निरंतर सफलता प्राप्त कर रही है. उन्होंने टीम भावना के साथ कार्य करते हुए संगठन के मिशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास की सतत प्रक्रिया है, जो संगठन को मजबूती प्रदान करती है. कार्यकर्ताओं को आत्मविश्लेषण करते हुए जनता की सेवा के कार्यों में सक्रिय रहना चाहिए. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक देश को परम वैभव तक पहुंचाने का लक्ष्य सभी कार्यकर्ताओं के सामने है.

VASTU HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कार्पोरेशन लि.

यूनिट 203 व 204, दूसरा तल, ए विंग नवभारत एस्टेट जाकरिया बंदर रोड, सेवरी (वेस्ट) मुंबई-400015 महाराष्ट्र, CIN No.- U65922MH2005PLC272501

कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया. उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणकर्ता और गारंटर को विशेष रूप से और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें. संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा.

स. क्र.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और लैन नंबर	तिथि और मांग सूचना की राशि	संपत्ति का विवरण	दिनांक और कब्जे का प्रकार
1.	श्री/श्रीमती कालू सिंह गरवाल (मृतक के बाद से), अर्थात श्रीमान श्रीमती अरुणा अग्रवाल (पत्नी) (स्वर्गीय कालू सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी गरवाल), श्रीमान/श्रीमती दिनेश गरवाल (पुत्र) (कानूनी उत्तराधिकारी) स्वर्गीय कालू सिंह गरवाल), श्रीमान श्रीमती उमेश गरवाल (पुत्र) स्वर्गीय कालू सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी गरवाल), सह-उधारकर्ता श्रीमान श्रीमती अरुणा गढ़वाल HL0000000019984 LP0000000049830	2 दिसंबर 2025 को रुपये 952573 और 21 नवंबर 2025 को रुपये 282489	ग्राम संदला, पीएचएन 09, कस्बा, तहसील झाबुआ, सर्वे संख्या 301/1 पेकी, क्षेत्रफल 50 × 40 = 2000 वर्ग फुट 185.87 वर्ग मीटर, मध्य प्रदेश की ओर 457779 सीमाएँ इस प्रकार हैं- उत्तर-कालू सिंह की कृषि भूमि, दक्षिण- कालू सिंह की कृषि भूमि, पूर्व- बिजिया की भूमि, पश्चिम- आम रोड	प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया 2 अप्रैल 2026 को

दिनांक : 8-4-2026
स्थान : रतलाम

प्राधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कार्पोरेशन लि.

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उक्त एक्ट) की सेक्शन 13 (2) के तहत जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के सहपठित है. उक्त नियमों के नियम 3 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (12) के तहत प्रदान अधिकारों के पालन में आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्रा. अधिकारी ने उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी की है व देनदारों को उन्हें जारी डिमांड नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा है. उक्त से संबंधित, देनदारों को एक बार फिर इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिनों में भुगतान तिथि तक डिमांड नोटिस तिथि से आगे ब्याज सहित निम्न कथित राशि का भुगतान करने की नोटिस दी जाती है. देनदारों के वितरण डिमांड नोटिस तिथि पर बकाया राशि व लोन राशि के भुगतान के प्रति प्रस्तुत सिक्योरिटी के विवरण निम्न हैं-

देनदारों/गारंटरों का नाम	डिमांड नोटिस तिथि व राशि	सिक्योर्ड एसेट विवरण (अचल संपत्ति)
श्री पवन कुमार तिवारी श्रीमती रुकमणी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10610044, आईएल10043970)	16-मार्च-26, रु. 401821/- (रु. चार लाख एक हज़ार आठ सौ इक्कीस मात्र) आईएल10610044 के लिए और रु. 1294305/- (रु. बारह लाख चौरानवे हजार तीन सौ पांच मात्र) आईएल10043970 के लिए	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार है : उत्तरी भाग, प्लॉट संख्या ए-47, प्रभातम ऑयस्टर सिटी, ग्राम काली बिल्लोद, देपालपुर, तहसील देपालपुर जिला इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 453115 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार : भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल : 492.00 492.00
श्री हितेश परिहार, श्री गोपाल सिंह परिहार, श्रीमती विजय लक्ष्मी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10245091)	16 मार्च 2026, रु. 869032/- (रु. आठ लाख उनहत्तर हजार बत्तीस मात्र)	संपत्ति का वह भाग : प्लॉट संख्या 302 सिंगापुर ग्रीन व्यू प्रीमियम एनएक्स गांव- बिज्जुखेड़ी सांवेर, इंदौर, मध्य प्रदेश 453771 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार : भूमि क्षेत्र, विक्रय योग्य क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र : 600.00, 600.00
श्री लोकेश राव, श्री मनोज राव, श्रीमती पूजा राव, श्रीमती सीता बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10258904)	16 मार्च 2026, रु. 1500629/- (रु. पन्द्रह लाख छह सौ उन्तीस मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार है : प्लॉट संख्या 430 का पूर्वी भाग, अरिहंत नगर एक्सटेंशन, ग्राम जंबुरदी हप्सी, तहसील हातोद, इंदौर, मध्य प्रदेश 453112, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार : क्षेत्रफल : 400 वर्ग फुट.
श्री आकाश झामेले श्रीमती कोमल झामेले (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10551107)	16 मार्च 2026, रुपये 999992/- (रु. नौ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ बानवे मात्र)	वह भूखंड जो निम्नलिखित है : खसरा संख्या 74/16/2/1, पीएच संख्या 16/63, ग्राम - बरिया, तहसील - गांधवानी, जिला - धार (मध्य प्रदेश), 454446 में स्थित भूमि का एक भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति प्रकार : क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल : 800 वर्ग फुट.
श्री संजय कुमार ताम्रकार श्रीमती विमला (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10623264)	16 मार्च 2026, रु. 1057922/- (रु. दस लाख सत्तावन हजार नौ सौ बाइस मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार है : प्लॉट नं. 296, मालव कुंज, सीरियल नं. 425/2, ग्राम सेजवे, जिला धार, मध्य प्रदेश, भारत 454773 का उत्तरी भाग क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार : क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल : 400 वर्ग फुट.

यदि उक्त देनदार आईआईएफएफ एचएफएल को उक्त भुगतान नहीं करते हैं तो वह देनदारों के पूरी तरह से जोखिम, लागत व नतीजों पर उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) व लागू नियमों के तहत उक्त सिक्योर्ड एसेट के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं. विवरण हेतु संपर्क प्रा. अधिकारी, ब्रांच आफिस -102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश/ ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 8/1-ए, और 8/2-ए, अमर सिंह मार्ग फ्रीगंज, उज्जैन-456001 या कार्पोरेट ऑफिस : आईआईएफएल टॉवर, प्लाट नं. 98, उद्योग विहार, फेस- IV गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान : उज्जैन/इन्दौर, दिनांक : 8.4.2026

प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लि.